न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 05 / 2024

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

1. तीजोदेवी उर्फ धुड़ी उर्फ धोड़ी पत्नि हनुमानराम, जाति जाट
निवासी सेवाणियों का तला, ईशरोल, तहसील चौहटन
हाल निवासी दीनगढ़, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

1.तहसीलदार चौहटन 2.वाली पुत्री हनुमानराम पति श्रीराम, निवासी पोकरासर, तहसील चौहटन 3.हुकमाराम 4.ठाकराराम 5.हीराराम 6.धनाराम पि.लिच्छमणाराम 7.मूली पत्नि लिच्छमणाराम 8.मीरा पत्नि देदाराम 9.आईदानराम पुत्र भैराराम 10.ठाकराराम 11.जुगताराम 12.पोकराराम पि. रूखमणाराम 13.अणसी पत्नि रूखमणाराम, जाति जाट,
निवासी सेवाणियों का तला, ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण –

प्रार्थीनी :– श्री प्रवीण कुमार
विप्रार्थीगण :– श्री जगदीश पोटलिया (विप्रार्थी सं. 2),
शेष एकतरफा

निर्णय

दिनांक :– 22/01/25

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 13 की संयुक्त पैतृक भूमि मौजे सेवाणियों का तला (ईशरोल) तहसील चौहटन में खसरा सं. 572 / 508 रकबा 48.8080 हैक्टयर एवं खसरा सं. 574 / 508 रकबा .3112 हैक्टयर के आये हुए है। उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी के पति स्व.हनुमानराम को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

विरासत से न्यायगत हुई थी तथा प्रार्थीनी के पति हनुमानराम के फौत होने पर प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 2 को पैतृक सम्पति के रूप में न्यायगत हुई।

प्रार्थीनी के पति हनुमानराम के स्वर्गवास होने पर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का फौतगी नामान्तरकरण सं. 5 ग्राम गोदारों की ढाणी (ईशरोल) तहसील चौहटन भरते समय प्रार्थीनी का वास्तविक नाम तीजादेवी के स्थान पर धोड़ी दर्ज कर प्रार्थी के देवर विप्रार्थी सं. 3 से 6 द्वारा हल्का पटवारी से पारित करवाया गया। नामान्तरकरण सं. 5 के पश्चात् जमाबंदियों में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश बिना राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी धोड़ी के स्थान पर धुड़ी दर्ज कर दिया गया।

प्रार्थीनी द्वारा कृषि ऋण हेतु आवेदन करने के लिए हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबंदी प्राप्त की तो सर्व प्रथम इस त्रृटि की जानकारी हुई, वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम होने प्रार्थीनी को विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभ लेने एवं ऋण प्राप्त करने में दिक्कते हो रही है। प्रार्थीनी का सही एवं वास्तविक नाम तीजोदेवी है जिसका प्रमाण मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि में सही अंकन है। लेकिन उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 05 में प्रार्थीनी का नाम धोड़ी अंकित कर दिया तथा उसके पश्चात् विवादग्रस्त आराजी की जमाबंदियों में धुड़ी गलत एवं लिपिकिय त्रृटि से कारित किया गया है।

प्रार्थीनी का नाम धोड़ी उर्फ धुड़ी उर्फ तीजोदेवी तीनों नामो से जाना व पहचाना जाता है व उक्त ग्राम में धोड़ी उर्फ धुड़ी उर्फ तीजोदेवी एक ही नाम की एकमात्र महिला है जो विधवा है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी के नाम को लकर हुई लिपिकिय त्रृटि को सुधार किया जाना न्यायोचित है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीनी का आवेदन पर रजिस्टर्ड किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया तथा उपस्थित पर विप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीनी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

चौहटन द्वारा प्रार्थीनी का नाम तीजोदेवी पत्नि हनुमानराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 2 के वकील उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी का नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तथा विप्रार्थी सं. 2 के वकील ने प्रार्थीनी के नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की । बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा सेवाणियों का तला (ईशरोल) तहसील चौहटन में खसरा सं. 572/508 रकबा 48.8050 हैक्टयर एवं खसरा सं. 574/508 रकबा 01.3112 हैक्टयर में दर्ज प्रार्थीनी का नाम धुड़ी पत्नि हनुमान के स्थान पर तीजोदेवी पत्नि हनुमानराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:26:54 IST
Reason: SelfAttested